प्रार्थनापत्र O9R13 CPC धीमाराम बनाम भागाराम 1/12

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	122/2015 BA No. 321/2017
	पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई
20/3/18	प्रार्थनापत्र विचार एवं निर्णय निम्न प्रकार है-
	यह कि प्रार्थी धीमाराम पुत्र श्री भागा व धन्नाराम पुत्र श्री [illegible] जाति [illegible] निवासी ग्राम [illegible] ने भागाराम पुत्र बीजा [illegible] निवासी [illegible] के विरुद्ध एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत O9 R13 CPC पठित 151 CPC बाबत 14.3.2015 के एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करवाने। भागाराम बनाम [illegible] स्थायी निषेधाज्ञा व दुरस्ती [illegible] मूल वाद सं. 226/2014 को पेश कर निवेदन किया कि -
	ग्राम [illegible] खसरा नं. 108, 109 किता 2 रकबा 3.35 है. [illegible] में स्थित है। इसकी खातेदारी प्रार्थीगण के पिता स्व. बीजा पुत्र [illegible] के नाम [illegible] खसरा नं. 3762 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा [illegible] ग्राम में रही है। उपरान्त बीजा पुत्र [illegible] के देहान्त [illegible] तत्पश्चात प्रार्थीगण [illegible] में काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की माता [illegible] व पुत्री [illegible] सहित [illegible] शादीशुदा होकर [illegible] निवास करती है।

बी0मा0(मि0 व मा0मा0(वि0 122/2015

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

ग्राम 321/2017

O9 R13 CPC

उक्त भूमि पर के आपत्तिकर्ता का कोई सम्बंध / सरोकार इस भूमि से नहीं है ना ही उन्हें विवा बीजापुर लाखा मुर्री का रहा है उप0उपजिलाधिकारी बीसलपुर के द्वारा उनवानी मालाराम गौरिह मालक भूमिधारी तहसील बीसलपुर 28.08.14 को प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थीगण सं0 1 विवा बीजापुर पट्टा को बतौर प्रतिवादी सं0 3 बनाया उनका पता निवासी आलमपुर स0 ह0 बीसलपुर दर्ज है। उनकी तामील बीजापुर पट्टा हरिजन के नाम से जारी नोटिस का तामील कुनिन्दा से माफ कर तामीली म0नि0 पर गलत रूप से फर्जी रिपोर्ट बीजापुर लाखा हरिजन के नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं है, बीजापुर लाखा मुर्री नाम का व्यक्ति था जो मृत हो गया है उनके दो गवाह के हस्ताक्षर करवा कर रिपोर्ट करवा दी जिसे आधार पर 03.3.15 को प्रार्थीगण के विरुद्ध बीजापुर पट्टा हरिजन के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही न्यायालय द्वारा पारित कर दी। सहायक वादी ने शपथपत्र पेश कर न्यायालय को मुगालता में रखकर एक पक्षीय डिक्री दिनांक 14.3.15 को पारित करवा ली जिससे व्यथित होकर आपत्तिकर्ता के विरुद्ध यह आपत्ति प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रतिवादीगण के विरुद्ध होने, प्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र O9R 13 CPC धीसाराम vs भालाराम

122/2015 BT.No.-321/2017 /2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहलकार हुक्म की तामील में जारी
	को भुगुगतान के कब्जा काश्त होने से अप्रार्थिया नं. 8 ने उसके पिता बीजा पुत्र लाखा का इन्द्राज के कोई प्रयोजन न होने व नामान्तरकरण की गलत रिपोर्ट होने से न्यायालय को गुमराह में रखकर एकपक्षीय डिक्री पारित करवायी (14.3.15 को) जो निरस्त योग्य है।	
	प्रार्थी ने इन्द्राज की जानकारी 1.7.15 को होना बताया। मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी देरी माफ करने हेतु निवेदन किया.	
	जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, उक्त वादग्रस्त आराजी ख.नं. 108,109 मौजा ... में स्व. बीजा पुत्र लाखा के पश्चात अप्रार्थिया नं. 8 का भुगुगतान के कब्जा काश्त निर्विवाद चला आ रहा है। 08.08.2006 को बीजा पुत्र लाखा की मृत्यु पश्चात नामान्तरकरण खोले गये तो उक्त इन्द्राज की जानकारी बीजा पुत्र परमा जाति हरिजन के नाम से गलत दर्ज होने की जानकारी होने पर, पुराना रिकार्ड निकाला तो ज्ञात हुआ कि, उक्त खेत में बीजा पुत्र लाखा गुर्जर (वादी अप्रार्थिया के पिता) की बजाए के बीजा पुत्र परमा। परमा गलत दर्ज कर दिया जबकि बीजा पुत्र परमा नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। बीजा की माता का नाम परमा व दादा का नाम गोमा गुर्जर था। गोमाराम लाखा	
	Sd/-	

प्रार्थना पत्र 09 R 13 CPC हीमाराम VS मालाराम
122/2015 ST. No. 331/2017

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	व मालाराम की पत्नी धापली की मृत्यु पदमा बैजनाथ राम में हो गयी थी इस लिए बीजा को गांव के लोग पदमा का छोरा (लड़का) ही बोलते व अप्रार्थीगण के बाप का नाम पदमा दर्ज हो गया तथा राजस्व रिकार्ड में गुर्जर के बजाय हरिजन मालिकान दर्ज कर दी. जो कि बाबत निर्णीत वाद 226/2014 निर्णय दिनांक 14.3.15 के मालाराम बनाम [illegible] प्रकरण में निर्णय दुरस्ती घोषणा बाबत दिया गया सही है।
	प्रार्थीगण ने मिथ्या व फर्जी दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र बीजा पुत्र पदमा का (जो कि इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था) तैयार करवा कर राजस्व रिकार्ड की गलती का फायदा उठा कर आपराधिक षड़यंत्र कर सदोष हानि की नीयत से कुउद्देश्यों का लाभ प्राप्त करने के लिए उक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रवेश किया जा रहा है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है.।
	वास्तव में प्रार्थीगण 09 R 13 CPC के आवेदन मूल डिक्री को चुनौती दे रहे हैं उनके आवेदन पठनीय नहीं हैं न ही कानूनन हो सकते हैं अतः प्रार्थना पत्र 09 R 13 CPC खारिज योग्य है।
	प्रार्थना पत्र में चुनौती दी गयी डिक्री कानूनी है बीजा पुत्र पदमा हरिजन नाम का कोई व्यक्ति नहीं था. बीजा पुत्र पदमा नाम का व्यक्ति न होने से सही तामील जारी करवाकर पुलिस तामील रिपोर्ट के आने की
	[illegible]

प्रार्थना पत्र O9R 13CPC सीताराम vs आत्माराम

122/2015 डी.सं. 321/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

पश्चात हो। न्यायोचित [illegible] पारित किया जाना चाहिए

प्रार्थिया बीजा पुत्र नोपा उर्फ नोला हरिजन के वारिसान है। अवैध मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर आवश्यक पक्षकार न होते हुए भी न्यायालय द्वारा को गुमराह करके प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज योग्य है। रकबा भी प्रार्थिया का नहीं रहा है। गलत दस्तावेज पेश करने पर प्रार्थिया के विरुद्ध आपराधिक अभियोग 340 CRPC में दर्ज किया जावे।

इसी प्रकार आवश्यक व विरुद्ध पक्षकार न होने से O9R13 CPC खारिज योग्य है।

बीजा पुत्र परमा नाम का व्यक्ति था ही नहीं तो प्रार्थिया के वारिस होने का प्रश्न ही नहीं है।

विशेष कथन में अप्रार्थी की ओर से पूर्वजान से इस भूमि पर काबिज काश्त होने, प्रार्थिया का किसी भी प्रकार का सरोकार न होने व बीजा पुत्र परमा हरिजन नाम का व्यक्ति ग्राम [illegible] में नहीं होने व प्रार्थिया बीजा पुत्र नोपा उर्फ नोला [illegible] हरिजन के वारिसान होने व फर्जी गलत मृत्यु प्रमाण पत्र बीजा पुत्र परमा के नाम से जारी करवा पंचायत से गलत वारिसनामा बनाकर अवैध दस्तावेज के आधार पर कूटरचना करके प्रार्थना पत्र पेश करने के दोषी होने व 340 CRPC से 403 के भागीदार होने का कथन करते के साथ-साथ प्रार्थिया की पेश [illegible]

[illegible]

प्रार्थना-पत्र 09 R 13 CPC श्रीमाराम व मालाराम

122/2015 BT. No. 321/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहक... हुक्म... में...
	बीजा पुत्र गोपा उर्फ गोला जाति हरिजन के नाम ग्राम ओसियां के खसरा 5245 528 दौरान अंतरण किया जबकि बीजा (प्रार्थीगण के पिता) का भाई हुकमा भी हिस्सेदार के दर्ज है। हुकमा के प्रार्थीगण ने विरासत का खाता अपने नाम अंतरित करवा लिया। जबकि प्रार्थीगण अपने पिता बीजा पुत्र गोपा उर्फ गोला की विरासत का नामांतरण अपने नाम जानबूझकर नहीं करवाया जाकर अप्रार्थीगण (वादीगण) की जमीन हड़प कर बीजा पुत्र परमा के वारिसान बताकर गलत प्रकरण दर्ज करवाने के सम्बन्ध में FR की जा चुकी है. मौके पर कब्जा के [illegible] का [illegible] है अत: आपराधिक [illegible] के विरुद्ध में 340 CRPC के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के साथ-साथ आदेश जारी करें कि 09 R 13 CPC मय हर्जा खर्चा खारिज की जावे। दौरान-ए-बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के साथ-साथ दिनांक 14.3.2015 को जारी डिक्री धारा 42 का उल्लंघन है तथा विधिवत तामील नहीं करवायी गयी जिसके सं[illegible] मृत्यु प्रमाण पत्र व [illegible] प्रमाण पत्र के आधार पर हम इस प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार बीजा पुत्र परमा के वारिसान होने से बनते हैं। पुलिस की FR गलत है जिसको न्यायालय में चुनौती पेश कर रखी है। साथ ही सम्बन्ध	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	तामील में गवाह के रूप में हस्ताक्षर प्रतिवादियों द्वारा ही मालूम बयानों में शपथपत्र दिये जो गलत है अतः डिक्री 14.03.15 खारिज कर वाद पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि उक्त भूमि ख.नं. 108, 109 ग्राम [illegible] पूर्वजों पूर्वबंध के पूर्वजों अप्रार्थीगण (वादीगण) का पूर्वजों से कब्जा काश्त रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार कब्जा काश्त नहीं रहा। प्रार्थीगण जो कि जिन दस्तावेजात मृत्यु प्रमाण, वारिसान प्रमाण पत्र के आधार पर डिक्री को चुनौती दे रहे हैं वे दस्तावेज कूटरचित व जाली है। जो मृत्यु प्रमाण पत्र बीजा पुत्र परमा का न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया उसमें शपथ लेख मजिस्ट्रेट तहसील लक्ष्मणगढ़ नीमका थाना के समक्ष हलफनामा प्रस्तुतकर्ता धन्नाराम पुत्र बीजाराम हरिजन ने अपने पिता बीजा के पिता का नाम नोपाराम अंकित करते हुए हस्ताक्षर किये हैं। पंचायत के प्रपत्र नं. 2 मृत्यु प्रतिवेदन में भी बीजा पिता नोपाराम आदि अंकित करते हुए धन्नाराम ने हस्ताक्षर किये हैं। उक्त हस्ताक्षरकर्ता धन्नाराम O 9 R 13 में प्रार्थी नं. 2 है तथा प्रार्थनापत्र में धन्नाराम अपने पिता का नाम बीजाराम बता कर आया है। उसके पिता का नाम नोपाराम	

Scanned by CamScanner

प्रार्थना-पत्र O9 R 13 CPC हरिनारायण VS मालाराम

122/2015 BT. No. 321/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	होना रिकार्ड से प्रकट है। परन्तु दस्तावेजी साक्ष्य ~~आदि~~ में कांट छांट कर मिथ्या दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें बींजा पुत्र नोपा के बजाय प्रार्थीगण ने बींजा पुत्र परमा व्यक्ति अप्रार्थीगण की उक्त भूमियों में त्रुटिपूर्ण नाम बींजा पुत्र परमा का फायदा उठाने के लिए कूटरचना कर दस्तावेज तैयार कर उसके आधार पर प्रार्थना पत्र O9 R13 CPC पेश किया जो दस्तावेज के आधार पर प्रमाणित है। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी (वादीगण) ने कहा कि पुलिस थाना में जो FIR दर्ज करवायी उसमें प्रार्थीगण को बींजा पुत्र परमा के नहीं मानकर बींजा पुत्र नोपा के वारिस मानते हुए उक्त भूमि बाबत प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में बींजा पुत्र परमा गलत दर्ज होने का फायदा उठाने की नीयत का उल्लेख करते हुए प्रार्थीगण द्वारा दर्ज FIR में FR प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थीगण अन्य भूमियों में प्रार्थीगण के पिता का नाम बींजा पुत्र नोपा उर्फ नाला होने का उल्लेख किया है। जिससे भी उक्त प्रार्थना पत्र में ये आवश्यक पक्षकार नहीं होना प्रमाणित है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने (वादीगण ने) अपनी बहस में डॉरल गांव जोगोदर की जमाबंदी बाबत रिकार्ड प्रस्तुत किया जिसमें ख.नं. 3854 में हुकमा बींजा पिता नाला व ख.नं. 3857/3 में हुकमा बींजा पिता नोपा हरिजन सा. देह गोकलपुरा अंकरात होना अंकित करते	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारी[illegible] अहकाम जो [illegible] हुक्म की ता[illegible] में जारी हु[illegible]
	हुए कथन किया कि बीजा के पिता का नाम नोपा उर्फ नोपा हरिजन है न कि परमा।	
	साथ ही प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादीगण के सम्बंध में गांव प्रतिवेदन की छायाप्रति पर प्रकाश प्रस्तुत की जिसमें उक्त ख.नं. 108,109 में बीजा पुत्र नोपा का सरोकार नहीं होना उल्लेख किया। तथा शपथपत्र [illegible] पत्र के आधार पर जारी गये ग्रा.पं. के वारिस प्रमाण पत्र व मृत्यु पत्र में कूटरचना के आधार पर धारा 340 CRPC के कार्यवाही की बात कही व प्रार्थीगण को आवश्यक पक्षकार न माना जाकर डिक्री जो आसंधारी [illegible] बताई है को अपास्त करने का अधिकारी प्रार्थीगण को न मानते हुए प्रार्थना पत्र O9R13 CPC खारिज करने की बात कही।	
	उपरोक्तानुसार उक्त प्रार्थनापत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, रिकार्ड/दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रकट है कि प्रार्थीगण धीमाराम व धन्नाराम जो ख.नं. 108, 109 ग्राम मोगाणडे के सम्बंध में पारित डिक्री 14.3.15 दिनांक 226/2014 आत्माराम बनाम मूलधारी में अपने विरुद्ध एकतरफा डिक्री पारित होने से व्यथित पक्षकार बनकर उक्त डिक्री को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थनापत्र O9R13 CPC के जरिये अपास्त करवाना चाहते हैं उसमें आवश्यक पक्षकार बनने के सम्बंध में मृत्यु प्रमाण व वारिस प्रमाण पत्र जिसमें अपने को प्रार्थीगण द्वारा बीजा पुत्र परमा का वारिसान होना अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है	

हुक्म की ...
में जारी हुए

प्रार्थना-पत्र O9R13 CPC चौथाराम vs भागाराम नं०

10/12

122/2015 BT. No. 321/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर ... अहकाम ... हुक्म ... में
	इस निबंध में प्रार्थना पत्र O9R13 CPC जो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया है में इसमा प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत की उसमें 20.2.2007 को जारी रजिस्ट्रीकरण दिन 25.1.2007, मृत्यु की तारीख 17.11.1961 अंकित है में मृतक बींजा के पिता का नाम पदमा अंकित है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण (वादीगण) द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रति में तहसीलदार नीम का थाना के समक्ष प्रस्तुत हलफनामा में जो प्रार्थी नं. 2 धन्नाराम पुत्र बींजाराम ने प्रस्तुत किया उसमें धन्नाराम ने अपने मृतक पिता बींजाराम के पिता का नाम नोपाराम अंकित होना स्पष्ट है तथा मृत्यु प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति प्रपत्र नं. 2 में भी धन्नाराम प्रार्थी नं. 2 ने अपने पिता के नाम में मृत्यु प्रमाण-पत्र हेतु प्रस्तुत किया उसमें भी बींजा के पिता का नाम नोपाराम जाखड़ अंकित किया है। जन्म मृत्यु रजिस्टर ग्रा. प. मांडलपुरा तंवरान क्रमांक 13 क्र.सं. 5 में बींजा पुत्र नोपाराम तहसीलदार नीम का थाना / कार्यालय रजिस्ट्रार नीमकाथाना की आज्ञा 24.1.07 का उल्लेख है, में बाद में नोपाराम को कांटकर पदमा अंकित किया है जो दस्तावेजी कांट-छांट होना प्रकट करता है। जिससे सिद्ध है कि प्रार्थीगण के दादा का नाम पदमा न होकर नोपा है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम-मांगजी के ख. नं. 3854 में हुकमा बींजा पि. नोला हरिजन व ख. नं. 3857/3 में हुकमा बींजा पिता नोपा हरिजन का अंकन है। ख. नं. 3854 के नये नम्बर 528 बने है व ख. नं. 3857/3 के नये नम्बर 524 बने है Sd/-	

प्रार्थना पत्र 09 R 13 CPC धीमाराम VS भावाराम वगै-

नम्बर व तारीख — जो इस

11/12

तारीख हुक्म	122/2015 BT. No. 321/2017 हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसकी जांच हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना की रिपोर्ट 3.2.2016 अनुसार बीजा पुत्र नोपा व बीजा पुत्र नोला के नाम दर्ज रिकार्ड है। सरकारी वकील ने प्रसंग में पत्रावली द्वारा जो FR दी गयी है उसमें भी जांच एवं गवाहों के आधार पर बीजा के पिता का नाम नोला बताया है। भिन्नहस्तलेखक द्वारा सी.एफ. हेल्पलाइन में प्राप्त परिवाद 081707824215 38 के सम्बंध में की गयी जांच के दौरान धनाराम पुत्र बीजाराम बावड़ी ने बीजा के पिता का नाम नोपा होने बाबत बयान दिया। मृत्यु प्रमाण पत्र में नोपा की जगह पर परमा दर्ज पाया गया व ग्रा.पं. द्वारा धीमाराम द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र बाबत वारिसान के आधार पर वारिस प्रमाणपत्र बनाना पाया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण के पिता बीजा के पिता नाम नोपा उर्फ नोला होना प्रमाणित है। बीजा पुत्र परमा नाम के व्यक्ति से प्रार्थीगण का कोई सरोकार नही है तथा ख.नं. 108, 109 ग्राम भोजासर बाबत जारी डिक्री दिनांक 14.3.2015 से सम्बंधित हितबद्ध पक्षकार नही होने से प्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा डिक्री पारित होना नही पाया जाता है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण उक्त पारित डिक्री दिनांक 14.3.2015 अनावेदन भावाराम बनाम मुकदमा 226/2014 में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी होना सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र 09 R13CPC प्रार्थीगणाके स्वीकार योग्य नही पाये जाने से 6	

Scanned by CamScanner

प्रार्थना-पत्र O 9 R 13 CPC चौथाराम vs मालाराम वगैरह

तारीख हुक्म	122/2015 BT.No. 321/2017 हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	खारिज किया जाता है। कूटरचित दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र के सम्बंध सरकारी शक्ति के विरुद्ध (तत्कालीन ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव सांवलपुरा तंवरान) अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु विकास अधिकारी खण्डेला को लिखा जावे तथा कूटरचित दस्तावेज के सम्बंध में आपराधिक प्रकरण बाबत अप्रार्थीगण के विरुद्ध संस्थित कराने हेतु) अप्रार्थीगण अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 20.3.18 को मेरे द्वारा लिखा गया एवं इजलास सुनाया गया। Sd/- (बृजलाल मीणा) ACJM(FT) श्रीमाधोपुर.	

Scanned by CamScanner